न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 87/2020 दायर दिनांकः 20/07/2020

उनवान

1. धन्नालाल उर्फ धनराज उम्र 53 वर्ष पुत्र चिन्ताराम जाति मेघवाल निवासी जिरोद तहसील अटरू जिला बारां (राज0) ....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

...........प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—
वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाक : 12/10/2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है, कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, राज0 टीनेन्सी एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल जिरोद पटवार क्षेत्र जिरोद तहसील अटरू की खाता संख्या 23 का ख0न0 19 का रकबा 1.18 है0, ख0न0 441 का रकबा 0.49 है0, ख0न0 442/770 का रकबा 0.10 है0, ख0न0 510/739 का रकबा 0.04 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 1.81 है0 आराजी तथा खाता संख्या 24 का ख0नं0 232 का रकबा 0.23 है0 आराजी वादी के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 वाद पत्र के साथ में संलग्न हैं जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने वादी का नाम धनराज पुत्र चिन्ता दर्ज कर दिया जबकि वादी सरकारी अध्यापक है जिसका शिक्षा विभाग में भी नाम धन्नालाल पुत्र चिन्ताराम दर्ज है तथा वादी के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक डायरी, भामाशाह कार्ड, बोर्ड अंकतालिका व ग्राम पंचायत जिरोद के प्रमाण पत्र में वादी का नाम धन्नालाल पुत्र चिन्ताराम दर्ज है जो सही दर्ज है। दस्तावेजों की छाया प्रतियां वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में वादी का गलत नाम धनराज व उसके पिता का गलत नाम चिन्ता दर्ज होने के कारण वादी अपनी आराजी का कृषि विकास कार्य नही करवा पा रहा है तथा कृषि ऋण व अन्य सरकारी

योजनाओं का लाभ लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम धनराज के स्थान पर धन्नालाल व उसके पिता का नाम चिन्ता के स्थान पर चिन्ताराम दर्ज करवाया जाना संभव नही है। अगर वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में वादी व उसके पिता का सही नाम दर्ज नहीं किया तो वादी को अपरिमित क्षति होगी व अपने हक अधिकारों से वंचित होना पडेगा तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नही ले पावेगा। जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार सेस होना संभव नही होगी। इसलिए वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में वादी का सही नाम धनराज व उसके पिता का सही नाम चिन्ताराम दर्ज करवाने का अधिकारी व नॉलिशी है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 10.02.2020 को पटवार हल्का से नकल प्राप्त करने पर व अन्तिम बार दिनांक 12. 02.2020 को तहसीलदार साहब अटरू को नाम दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र देने पर उन्होनें माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की सलाह देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षैत्र में उत्पन्न हुआ। वाद ग्रस्त आराजी ग्राम एवं माल जिरोद तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः माननीय न्यायालय में वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि डिक्री बहक वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमाई जावे किः—

(अ) वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम धनराज पुत्र चिन्ता के स्थान पर धन्नालाल पुत्र चिन्ताराम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान करने की कृपा करें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वह वादी को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नही करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया।

साक्ष्यवादी के अन्तर्गत Pw_1 व Pw_2 के शपथ पत्र पेश किये तथा रिकार्ड EXP करवाया गया। अभिभाषक वादी की बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि ग्राम एवं माल जिरोद पटवार क्षेत्र जिरोद तहसील

अटरू की खाता संख्या 23 का ख0न0 19 का रकबा 1.18 है0, ख0न0 441 का रकबा 0.49 है0, ख0न0 442/770 का रकबा 0.10 है0, ख0न0 510/739 का रकबा 0.04 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 1.81 है0 आराजी तथा खाता संख्या 24 का ख0नं0 232 का रकबा 0.23 है0 आराजी पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में धनराज पुत्र चिन्ता के स्थान पर धन्नालाल पुत्र चिन्ताराम दर्ज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रस्तुत रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2073–2076 ग्राम एवं माल जिरोद तहसील अटरू की खाता संख्या 23 की कुल किता 4 का कुल रकबा 1.81 है0 में सहखातेदार के रूप में वादी का नाम धनराज पुत्र चिन्ता हिस्सा 1/8 दर्ज है तथा ग्राम जिरोद की खाता संख्या 24 का ख0नं0 232 का रकबा 0.23 है0 में सहखातेदार के रूप में वादी का नाम धनराज पुत्र चिन्ता हिस्सा 1/4 दर्ज है। अन्य दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, माध्यमिक शिक्षा बार्ड राजस्थान की अंकतालिका में वादी का नाम धन्नालाल पुत्र चिन्ताराम दर्ज है, आधार कार्ड में धन्नालाल मेघवाल पुत्र चिंताराम दर्ज है, बैंक डायरी सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया अटरू में धन्ना लाल दर्ज है, भामाशाह कार्ड में वादी का नाम धन्नालाल मेघवाल दर्ज है।

प्रस्तुत रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल जिरोद तहसील अटरू की खाता संख्या 23 का ख0न0 19 का रकबा 1.18 है0, ख0न0 441 का रकबा 0.49 है0, ख0न0 442/770 का रकबा 0.10 है0, ख0न0 510/739 का रकबा 0.04 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 1.81 है0 आराजी तथा खाता संख्या 24 का ख0नं0 232 का रकबा 0.23 है0 आराजी में सहखातेदार धनराज पुत्र चिन्ता के स्थान पर धनराज उर्फ धन्नालाल पुत्र चिन्ताराम दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/10/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (**R.A.S.**) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 87/2020

उनवान

1. धन्नालाल उर्फ धनराज उम्र 53 वर्ष पुत्र चिन्ताराम जाति मेघवाल निवासी जिरोद तहसील अटरू जिला बारां (राज0) ....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

...........प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....**X**................ रूबरू..............**X**..............................

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू ....**X**..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल जिरोद तहसील अटरू की खाता संख्या 23 का ख0न0 19 का रकबा 1.18 है0, ख0न0 441 का रकबा 0.49 है0, ख0न0 442/770 का रकबा 0.10 है0, ख0न0 510/739 का रकबा 0.04 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 1.81 है0 आराजी तथा खाता संख्या 24 का ख0नं0 232 का रकबा 0.23 है0 आराजी में सहखातेदार धनराज पुत्र चिन्ता के स्थान पर धनराज उर्फ धन्नालाल पुत्र चिन्ताराम दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....**X**...................... मुबालिक ....**X**............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......**X**.........................
.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....**X**.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 12/10/2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)